उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या– 69 / VI-2 / 2011–72(6)2010

प्रेषक,
डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च, 2011

विषयः– संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2298 / सं0नि0उ0 / पांच–50 / 2010–11 दिनांक 03 जनवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति के विभिन्न आयामों एवं वीडियो अभिलेखीकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) फिल्म के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी।

(2) अनावश्यक व्यय यथा मंहगे यात्रा व्यय, अनावश्यक प्रचार को हतोत्साहित किया जायेगा। मुख्य व्यय कलाकारों के मानदेय एवं रिकार्डिंग पर जाना चाहिये।

(3) किसी एक संस्था को अधिकतम ₹ 3.00 लाख स्वीकृत स्वीकृत किया जायेगा।

(4) समिति के समक्ष रखे समग्र प्रस्तावों पर बजट की सीमा में ही विचार किया जायेगा।

(5) एक पंजीकृत संस्था द्वारा एक वृत्त चित्र के निर्माण के उपरान्त कम से कम 5 वर्ष तक दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(6) कार्यदायी पंजीकृत संस्थाओं / समितियों का चयन सर्वमान्य प्रचलित मानकों (विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध विशेषज्ञता, अनुभव एवं तकनीकी सक्षमता को प्राथमिकता देते हुए) के अनुसार एक पारदर्शी प्रकिया अपनाकर किया जायेगा।

(7) चयनित कार्यदायी पंजीकृत संस्था / समिति को कार्य आवंटन के उपरान्त प्रथम भुगतान अग्रिम के रूप में 20% की सीमा तक किया जायेगा। तत्पश्चात् आवंटित कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता के अनुसार 40%- 40% राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त में अग्रिम का समायोजन भी किया जायेगा। शेष 20% धनराशि का भुगतान

...(2)

Budget 10-11

शासन द्वारा आवंटित कार्य को पूर्ण किये जाने पर निर्धारित अभिलेख यथा प्रिन्ट, फिल्म आदि उपलब्ध कराये जाने एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर किया जायेगा।

(8) चयनित संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्य का प्रमाणीकरण (VALIDATION) की सुदृढ़ व्यवस्था की जायेगी।

(9) प्रदेश की लोक संस्कृति तथा प्रदेश के महान विभूतियों यथा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संस्कृति कर्मियों, राज्य आन्दोलनकारियों के व्यक्तित्व व कृतित्व का अभिलेखीकरण हेतु पूर्ण पटकथा तथ्यात्मक सामग्री का प्रमाणिक होना आवश्यक है।

(10) संस्कृति निदेशालय द्वारा पटकथा एवं प्रमाणिकता हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, समिति द्वारा पटकथा का परीक्षण कर संस्तुति प्रदान की जायेगी।

(11) ऑडियो एवं वीडियों अभिलेखीकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की संस्तुति सहित संस्कृति निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(12) ऑडियों एवं वीडियों अभिलेखीकरण हेतु अनुदान पंजीकृत संस्था/समिति को ही प्रदान किया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा पूर्व में किये गये ऑडियो एवं वीडियों अभिलेखीकरण कार्यों का उल्लेख, प्रमाणिकता तथा संस्था का तीन वर्ष का आय–व्ययक सी0ए0 द्वारा प्रमाणिक होना आवश्यक है।

(14) अभिलेखीकरण में पूर्णता प्रमाणिकता, शुद्धता एवं मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए अश्लीलता एवं अप्रमाणिक तथ्यों के प्रवेश को वर्जित किया जायेगा।

(15) ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण का कार्य एक विषय पर एक ही बार किया जायेगा।

(16) संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण कार्य हेतु वर्ष में एक या अधिक से अधिक दो ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण कार्यों की ही संस्तुति की जायेगी।

(17) संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने वाले ऑडियों एवं वीडियों अभिलेखीकरण का सर्वाधिकार संस्कृति विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(18) संस्कृति के क्षेत्र में किये जा रहे ऑडियों एवं वीडियो अभिलेखीकरण का सर्व प्रथम प्रदेश की संस्कृति से सम्बन्ध एवं वास्तविकता की प्रमाणिकता होना आवश्यक है।

......(3)

(19) उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–938(पी)/XXXVII(3)/2011 दिनांक 17 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टाफ अफसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
7– मीडिया सेन्टर
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।